International Journal of Hindi Research
ISSN: 2455-2232, Impact Factor: RJIF 5.22
www.hindijournal.com
Volume 3; Issue 3; May 2017; Page No. 100-104

भारत में आरक्षित समाज दशा एवं दिशा : समसामयिक संदर्भ

राजकुमार लहरे

सहायक प्राध्यापक (हिन्दी), शासकीय पी. डी. वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय, रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत।

सारांश

15 अगस्त 1947 को देश पहली बार आजादी मनाया। भारत लोकतांत्रिक गणतंत्र बना, तब सफल संचालन के लिए एक संविधान[1] का निर्माण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने समतामूलक सर्वांगीण विकास व संचालन हेतु किया। जहॉ समाज में निचले स्तर में जीवनयापन करने वाले पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासियों के लिए कुछ विशेष सुविधाओं का प्रावधान आरक्षित किया गया है। जिससे सदियों से गरीब, मजदूर, दलित–शोषितों के जीवन मुख्यधारा में आकर राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सॉस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्यगत आदि अवस्था और व्यवस्था में सकरात्मक बदलाव स्वयं ला सके।

परन्तु, आज भी 21 वीं सदी विज्ञान व संचार के युग में इन लोगों के हालात् में वांछित सुधार देखने को नहीं मिलता, इसके लिए कई तत्व जिम्मेदार हैं। जिसे समय के साथ दूर करना अनिवार्य है, जिससे देश में इन जरुरतमंद आरक्षित समाज के दशा व दिशा में सार्थक बदलाव के साथ–साथ विकास हो सके। वास्तव में, आरक्षण का ठीक क्रियांवयन आज तक नहीं होने के कारण देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, शील के अभाव तथा इनके प्रति अत्याचार, आर्थिक उदारीकरण के कारण समाज शोषक–शोषित वर्ग में बॅटता हुआ, पूंजीवादी व्यवस्था हावी होता जा रहा है। कथित उच्च जातियॉ आज भी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, तो कुछ उच्च विकसित दलित–शोषित (Crimilayer) समाज आरक्षण के खिलाफत करने लगे हैं। जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों में खतरा मंडराने लगा है। आरक्षण कोई दान, उपहार या अनुकंपा नहीं, वरन् यह एक मौलिक संविधान प्रावधानित अधिकार होकर समाज में उन लोगों को मिलना ही चाहिए, जो जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, धर्म शहर तथा सुदूर ग्रामीण अंचल में रहकर ये आरक्षित वर्ग विकास के मुख्य धारा से आज भी कटे हुए हैं। तभी सबका विकास, सबके साथ संभव होगा ? यह एक विचारणीय प्रश्न है।

मूल शब्दः आजादी, संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण, समाज।

प्रस्तावना

भारतीय समाज में लोगों के व्यवहार में नैसर्गिक रुप से समन्वय, समरसता, भाई–चारा व अपनापन था। समय के साथ–साथ विदेशी आक्रमण प्रारंभ हुआ। साथ ही, गण तथा जनपद आपस में टकराने लगे। तब जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, धर्म, रंगभेद, अस्पृश्यता, उॅच–नीच, भेदभाव, पाखण्ड, आडम्बर, दिखावा, चारित्रिक हनन, लूटपाट, आदि दूर्गुण व्यवहार में समाने लगा; तथा लोग एक–दूसरे को हेय दृष्टि से देख अपनी श्रेष्ठता सिध्द करने लगे। इससे भारत की एकता खण्डित होता गया। फलस्वरुप, समाज गरीब, दलित–शोषित, मजदूर जैसे कई स्तर भेदों में बॅटता गया और शक्ति का साम्राज्य होता गया। आक्रमण का यह संघर्ष आर्य, यक्ष, देव, गंधर्व, किन्नर, से आधुनिक युग में हूण, फ्रांसिस, पूर्तगाल, मुगल, अंग्रेज तक चलता रहा और भेदभाव उत्रोत्तर बढ़ता गया। भारत के मूल निवासी राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सॉस्कृतिक, दृष्टि से पराजित होते गये। आत्म–निर्भरता व स्वालंबन जाता रहा। फलस्वरुप उच्च वर्ग का अत्याचार, जैसे : बेगार प्रथा, छुआछूत, जाति–पाति, लूटपाट, शोषितों के बीच लड़ाई, मैला प्रथा, मंदिरों में प्रवेश न करने देना, बहू–बेटियों में अंतर व इज्जत लूटना आदि बढ़ता गया। जो आज भी शेषांश बाकी है। इन्हीं से मुक्ति का नाम आजादी होना चाहिए, जो आज के संदर्भ में कहॉ तक मिल पाया है। यह एक प्रश्न है। अविकसित, अल्प विकसित, विकासशील देशों में इसकी स्थिति क्या है, कौन जिम्मेदार हैं, क्या इसके लिए आरक्षण की जरुरत नहीं ? जब जल, जंगल, जमीन, पशु–पक्षी, नदी–नाला, तालाब आदि का आरक्षित कर संरक्षित किया जा रहा हो , तो क्या मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं, एक ओर वैज्ञानिक ज्ञान और संचार का युग और दूसरी ओर कंदराओं में जीने को मजबूर लोग, जहॉ किसी भी तरह से कोई सुविधा नहीं। क्या यही विकास की परिभाषा है ? क्या विश्व–समुदाय को इस ओर ध्यान देने की जरुरत नहीं है ? तब भारत जैसे विकासशील देश में अविकसित, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी मानव समुदाय को विकास हेतु मिलने वाला प्रावधान को समाप्त करने की क्या जरुरत है। क्या इससे इनके विकास में तेजी आयेगी या ये वर्ग, समुदाय पुनः गर्त में नहीं चला जायेगा। क्या आरक्षण के मिलने से ही इनका विकास नहीं हुआ। तो फिर क्या, इन वर्गों कि आरक्षण को हटाने का मंशा गलत नहीं ? आखिर स्त्री, विकलांग आदि आरक्षण की बात क्यों ?

आजादी और संविधान

जब विकास योजनओं का लाभ समाज के सभी अंतिम व्यक्ति तक पहुॅचेगा, तभी सच्ची आजादी मिलेगी और समतामूलक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना होगी। लोग स्वतंत्र होकर, हर तरह से शोषण से मुक्त हो, जीवनयापन कर सकेगा। दलित–शोषित, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग, मजदूर, किसान, स्त्री, बच्चा, बुढ़ा, मिलकर रह सकेंगे। एक घाट, एक बाट की नीति स्वीकार होगा। जब तक शासकीय/अर्ध्द शासकीय/अशासकीय क्षेत्रों में इन लोगों की भगीदारी समतामूलक सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक समाज में शांति, सौहार्द नहीं बढ़ेगा। इसके लिए संविधान में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ भीमराव अम्बेडकर जी ने इन वर्गों का समतामूलक विकास के लिए ही कुछ अधिकार आरक्षित किया। जिसके चलते हुए आज देश में अपनी सहभागिता निभाते हुए विकास करने लगा है तो, कुछ उच्च वर्ग इनको षड़यंत्र पूर्वक रोकने की कोशिश कर रहे हैं; तथा आरक्षण के प्रति गलत धारणा फैलाने का प्रयास होने लगा है। यदि ऐसा हुआ तो, ये वर्ग पुनः गुलाम हो जायेगा। क्योंकि आज जो इनमें विकास दिखता है तो

इनका पूरा श्रेय आरक्षण का होना है।
आरक्षित वर्ग को समझना होगा कि ये कोई गाली नहीं, वरन् एक अवसर है। व्यक्तिगत तथा देश की आजादी तथा विकास के लिए तभी देश आगे बढ़ेगा। आज आजादी को समाज व देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए संविधान का अक्षरशः पालन होना सुनिश्चित हो। क्योंकि आजादी और संविधान एक–दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा का नाश हो जायेगा।

विकास के लिए संवैधानिक आरक्षण प्रावधान
किसी भी देश के स्थिरता व एकरुपता को बनाये रखने के लिए संविधान का होना अनिवार्य है। भारत का संविधान विश्व में श्रेष्ठ है; क्योंकि यहाँ का संविधान विश्व संविधान का एकरुप है, और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। सबसे अनुकरणीय है यहाँ के सभी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकास की गति जो आज यहाँ के खूबसूरती बन गया है; और इसका मूल कारण है– संविधान में जरुरतमंदों के लिए आरक्षण का प्रावधान। भारतीय संविधान में प्रावधानित है कि–

अनुच्छेद 2, अनुभाग 3 – अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान
संयुक्त राज्य भारत का संविधान प्रावधान करेगा कि
खंड 1 संम्प्रदायिक कार्यपालिका के विरुध्द संरक्षण
1. संघ अथवा राज्य की कार्यपालिका गैर संसदीय होगी। इस अर्थ में कि विधायिका की अवधि से पहले इसे हटाया नहीं जा सकेगा।
2. कार्यपालिका के सदस्य यदि वे विधायिका के सदस्य नहीं है तो भी उन्हें विधान मंडल में बैठने, बोलने, मत देने और प्रश्नों के उत्तर देने का अधिकार होगा।
3. प्रधानमंत्री का चुनाव विधानमंडल एकल परिर्वतनीय मत द्वारा किया जायेगा।
4. मंत्रिमंडल में विभिन्न अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों का चुनाव विधायिका में प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल परिर्वतनीय मत द्वारा किया जायेगा।
5. कार्यपालिका में बहुसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों का चुनाव पूरे सदन द्वारा एकल परिर्वतनीय मत द्वारा होगा।
6. मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य निंदा प्रस्ताव पर या अन्यथा अपने पद से इस्तीफा दे सकता है किन्तु भ्रष्टाचार अथवा राजद्रोह के आधार पर सदन द्वारा महाभियोगों के अलावा उसे हटाया नहीं जा सकेगा।

खंड 2 सामाजिक एवं शासकीय अत्याचार के विरुध्द संरक्षण
1. अलपसंख्यक मामलों का अधीक्षक नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।
2. इस अधिकारी का स्तर भारत सरकार के 1935 के धरा 166 के अंतर्गत नियुक्त महालेखा परीक्षक के समान होगा और उसे हटाने का ढंग सर्वोच्च न्यायालय के समान होगा।
3. इस अध्किारी का कर्त्तव्य होगा कि संघीय/राज्य तथा आम लोगों द्वारा अल्पसंख्यकों के प्रति किये जाने वाले बर्ताव, संरक्षणों के उलंघन या सरकारों अथवा उनके अधिकारियों द्वारा सम्प्रदायिक द्वेषपूर्ण भेदभाव के कारण न्याय क्षरण इत्यादि की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करें।
4. अधीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट संघीय अथवा राज्य विधानमंडलों के पटल पर रखी जायेगी और संघीय तथा प्रांतीय सरकार रिपोर्ट पर बहस करने के लिए समय प्रदान करने के लिए बाध्य होगी।

खंड 3 सामाजिक बहिष्कार के विरुध्द संरक्षण–
समाजिक बहिष्कार करना, सामाजिक बहिष्कार के लिए उकसाना, सामाजिक बहिष्कार के लिए धमकी देना, एक अपराध घोषित किया जाता है–

1. बहिष्कार की परिभाषा
1. क. किसी भूमि/मकान का किराये/उपयोग/काबिज होने से मना करता है। व्यक्ति के साथ लेन–देन करने/मजदूरी/व्यापार इंकार करता है। जो कि ऐसा कार्य साझे से होनी चाहिए।
2. ख. समाज में ऐसी रुढ़ियॉ जो संविधान में घोषित अधिकारों के अनुरुप नहीं है और सामान्यतः विरत रहने वाले व्यक्ति का समर्थन करता है। अथवा
3. ग. किसी दूसरे व्यक्ति के विधि सम्मत अधिकारों के प्रयोग में किसी प्रकार क्षति पहुँचाता है, क्षुब्ध करता है या व्यवधान करता है।

2. बहिष्कार करने का अपराध
किसी व्यक्ति जो किसी कार्य करने के लिए स्वेच्छा/बालात् अधिकार/अनधिकार रुप से दबाव/बाध्य करता है तो वह बहिष्कार की श्रेणी में आता है।

3. बहिष्कार को उकसाने या बढ़ाने का अपराध
सार्वजनिक रुप से बहिष्कार का प्रस्ताव तैयार करता है, प्रकाशित करता है, या इस मंशा से किसी का बहिष्कार हो सकता है, अफवाह फैलता है, या किसी अन्य तरीका से किसी का बहिष्कार हो सकता है। तो वह बहिष्कार को बढ़ावा देने का अपराधी होगा।

4. बहिष्कार से धमकी देने का अपराध
कोई भी व्यक्ति जो उस काम को करने के लिए अधिकृत हो या अनधिकृत हो या उनसे जुड़े या अनजुड़े का किसी भी तरह से बहिष्कृत करने के लिए स्वयं या अन्य तरह से संलग्न पाया जाता है तो उसे बहिष्कार का अपराधी माना जायेगा।

5. ये सभी अपराध संज्ञेय अपराध माने जायेंगे।इन अपराधों के लिए दंड निर्धारित करने संबंधी कानून संघीय विधायिका बनायेगी।

खंड 4 अल्पसंख्यकों के लाभ के उद्देश्यों सहित भारत सरकार से संबंधित उद्देश्यों के लिए धन व्यय करने की सरकारों की शक्ति
केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की किसी उद्देश्यों के लिए सहायता अनुदान मंजूर करने की शक्ति को सीमित या समाप्त नहीं किया जायेगा। भले ही उद्देश्य ऐसा न हो जिसके लिए संघ या राज्य विधायिका – जैसी भी स्थिति हो – कानून बना सकती है।

अनुच्छेद 2, अनुभाग 4 अनुसूचित जातियों के रक्षा उपाय
भाग- 1 प्रत्याभूतियॉ गारण्टियॉ
संयुक्त राज्य भारत सरकार अनुसूचित जातियों को निम्नलिखित अधिकारों की गारंटी देगा –
खंड 1 विधायिका में प्रतिनिधित्व का अधिकार–

1. प्रतिनिधित्व की मात्रा
क.
1. सिंध और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत अनुसूचित जातियों को उचित प्रतिनिधित्व में उनका उचित हिस्सा दिया जाय।
2. जहॉ किसी बहुत बड़े सम्प्रदायिक बहुमत को उचित आकार में रखना आवश्यक हो तो अतिरिक्त हिस्सा(Weightage) बहुमत के हिस्सा में से निकाना जायेगा।

3. अतिरिक्त हिस्सा एक समुदाय को ही नहीं, बल्कि सभी अल्प संख्यक समुदायों में बराबर अथवा विपरीत अनुपात में उनकी
   i) आर्थिक स्थिति
   ii) सामाजिक स्थिति
   iii) शैक्षिक प्रगति के आधार पर बॉटा जायेगा।

ख. विशेष हितों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जायेगा। परन्तु ऐसा करने की अनुमति दी गई, तो वह उन्हें उस समुदाय के प्रतिनिधित्व के हिस्सा में से दिया जायेगा।

2. चुनाव प्रणाली

1. **विधायी निकायों के लिए–** पूना समझौता समाप्त हो जायेगा, के स्थान पर पृथक निर्वाचक मंडल पध्दति शुरु की जायेगी तथा व्यस्क मताधिकार होगा मतदान की पध्दति संचयी होगी।
2. **स्थानीय निकायों के लिए–** नगर निकायों और परिषदों के चुनाओं में प्रतिनिधित्व की मात्रा और चुनाव का तरीका वही होगा जो संघीय और प्रांतीय विधायिकाओं के लिए अपनाया जायेगा।

खंड 2 कार्यपालिका में प्रतिनिधितव का अधिकार: निर्वाचन व प्रतिनिधित्व विधायिकाओं की भॉति होगा।

खंड 3 सेवाओं में प्रतिनिधित्व का अधिकार: नौकरियों में अनुसूचित जातियों की मात्रा निम्न प्रकार होगी–

1. संघीय सेवाओं में– भारत या ब्रिटिश भारत– जैसी भी स्थिति हो– की कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात में।
2. प्रांतीय और संघ सेवाओं में– प्रांत या संघ में उनकी जनसंख्या के अनुपात में।
3. स्थानीय/नगरीय निकायों के निर्वाचन में– नगर पालिका या स्थानीय निकाय के क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में।
   i) जनसंख्या से अधिक की अनुमति न दी जाय।
   ii) न्युन्तम सेवाओं, शिक्षा, आयु आदि शर्तों के अलावा सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व के अधिकार में कोई कटौती न की जाय।
   iii) नौकरियों में प्रवेश के लिए जो शर्तें निर्दिष्ट की गयी हो, वे शर्तें भारत सरकार के 1942और 1945 के संकल्पों में भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों को दी गयी रियायतों में कोई कटौती न की जाय।
   iv) रिक्तियों को भरने का तरीका भारत सरकार के 1942 और 1945 के प्रस्तावों में निर्दिष्ट नियमों के अनरुप हो।
   v) रिक्तियों को भरने के लिए गठित प्रत्येक लोक सेवा आयोग या समिति में अनुसूचित जातियों का कम से कम एक प्रतिनिधि अवश्य हो।

भाग – 2 विशेष उत्तरदायित्व

स्युक्त राज्य भारत अनुसूचित जातियों के बेहतरी के लिए निम्नलिखित विशेष उत्तरदायित्वों को पूरा करने की जिम्मेदारी लेगा–

खंड 1 उच्चतर शिक्षा के लिए प्रावधान

1. संघ और राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों की उच्चतर शिक्षा के लिए प्रांतीय वित्तीय जिम्मेदारी लेनी होगी और अपने बजट में यथेचित प्रावधान करना होगा। संघ और राज्य बजट में ऐसे प्रावधान प्रथम वरीयता पर होंगे।
2. भारत में अनुसूचित जातियों की माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के लिए धन का प्रबंध करने की जिममेदारी प्रांतीय सरकारों की होगी और राज्य सरकारें वार्षिक बजट में अनुसूचित जातियों के जनसंख्या के अनुपात में कुल बजटों में प्रावधान करेंगी।
3. अनुसूचित जातियों की विदेश में शिक्षा के लिए धन का प्रबंध करना संघ सरकार की जिम्मेदारी होगी।
4. ये विशेष अनुदान प्रांत के लोगों की प्राथमिक शिक्षा पर प्रांतीय सरकार द्वारा व्यय किये जाने वाले धन में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी के अधिकार से पूर्वाग्रह से मुक्त होगा।

खंड 2 नई बस्तियों के लिए प्रावधान– 1. संघ सरकार के संविधान में निम्न प्रावधान किये जायेंगे–

1. नये संविधान के अंतर्गत एक पुर्नवास अयोग होगा जिसके पास राज्य की बंजर भूमि न्यास रुप में होगी जिस पर अलग–अलग गॉवों में अनुसूचित जातियों को आबाद किया जायेगा।
2. संध सरकार आवास योजना को प्रोत्साहित करने के लिए एक अलग कोष की व्यवस्था करनी होगी।
3. आयोग को किसी भी बेची जाने वाली भूमि को खरीद कर पूर्वाक्त उद्देश्य के लिए उपयोग करने का अधिकार होगा।
4. 2. संध सरकार समय–समय पर ऐसे कानून बनायेगी जो आयोग के कार्य संपादन के लिए आवश्यक हो।

भाग – 3 रक्षा उपायों की स्वाकृति और उनका संशोधन

खंड 1 रक्षा उपायों की स्वाकृति : संयुक्त राज्य भारत सरकार यह प्रावधान करेगा कि– संयुक्त सरकार यह वचन देता है कि अनुच्छेद 2, अनुभाग 4 में निर्दिष्ट रक्षा उपायों को वह अपने संविधान में शामिल करेगा और उनके संवैधानिक कानून का अंग बनायेगा।

खंड 2 रक्षा उपायों की संशोधन विधि : अनुसूचित जातियों के लिए बने प्रावधानों को निम्न पध्दिति के अतिरिक्त न तो परिवर्तित किया जायेगा, न संशेधित किया जायेगा, और न ही रद्द किया जायेगा– अनुसूचित जातियों से संबंधित अनुच्छेद 2 अनुभाग 4 अथवा उसके किसी भाग को संशोधित करना या रद्द करना लोकसभा द्वारा ही होगा जिसका ढंग निम्न प्रकार होगा–

1. संशोधन या निरस्तीकरण का कोई भी सुझाव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जायेगा।
2. ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नही किया जायेगा जब तक कि–
3. क. इस संविधान को लागू हुए, या तद्नुरुप कार्य करते 25 वर्ष न बीत जाय।
4. ख. ऐसा प्रस्ताव पेश करने वाला व्यक्ति प्रस्ताव पेश करने के अपने इरादे से सदन को 6 महीने के पूर्व सूचना नहीं देता है।
5. ऐसा प्रस्ताव पारित होने पर विधायिका भंग हो जायेगी और नये चुनाव होगें।
6. जो मूल प्रस्ताव विधायिका ने पारित किया था उसे नई चुनी गई विधयिका द्वारा उसी सदन में नये सिरे से पुनः पेश किया जायेगा।
7. प्रस्ताव तब तक पास हुआ नहीं माना जायेगा तब तक कि सदन के दो तिहाई सदस्यों का बहुमत और पृथक निर्वाचन पध्दिति द्वारा चुनु गये अनुसूचित जातियों के दो तिहाई सदस्य उसे पारित न कर दे।

भाग – 4 भारतीय रियासतों में अनुसूचित जातियों का संरक्षण

स्युक्त राज्य भरत के संविधान में अनुच्छेद 2, अनुभाग 4 में निहित अनुसूचित जातियों से संबंधित सभी प्रावधानों को भारतीय रियासतों के अनुसूचित जातियों के लिए विस्तारित कर दिया जायेगा। किसी भारतीय रियासत के संविधान में ऐसे प्रावधान का होना उसके भारतीय संघ में शामिल होने की पूर्व शर्त होगी।

भाग – 5 व्याख्या

अनुसूचित जातियॉ एक अल्पसंख्यक समुदाय

1 अनुच्छेद 2 के उद्देश्यों से अनुसूचित जातिया, जैसा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन जारी किये गये अनुसूचित जाति आदेश 1936 में परिभाषित किया गया है, अल्पसंख्यक मानी जायेगी।

अनुसूचित जातियॉ और अधिवास

2 अनुच्छेद 2 के उद्देश्यों से वह जाति जो एक राज्य में अनुसूचित जाति है भारत के सभी राज्यों में अनुसूचित जाति मानी जायेगी।

अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग की सूची

1950 भाारत के संविधान के अनुच्छेद 341/1 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्टपति ने राज्यपाल/राज प्रमुखों से परामर्श कर के आदेश जारी किया, कि–

वे जातियॉ, मूलवंश, जनजातियॉ या जनजातियों के भाग या उनमें के युथ, जो कि इस आदेश की अनुसूची[2] भाग 1 से लेकर भाग 24 तक विर्निदिृष्ट हैं उन राज्यों के संबंध में , जिनमें वे भाग क्रमशः सम्बध्द जहॉ है, वहॉ तक कि उन सदस्यों का संबंध है जो उन परिक्षेत्रों में निवासी है जो उन अनुसूची के उन भाग में उनके संबंध में विर्निदृष्टि है, अनुसूचित जातियॉ समझे जायेंगे। [4] 3. पैरा 2 में विर्निदृष्टि किसी बातके होते हुए भी कोई व्यक्ति जो हिन्दू [5] सिक्ख या बौध्द धर्म से भिन्न धर्म मानता है , अनुसूचित जाति का सदस्य न समझे जायेंगे। 4 इस आदेश में किसी राज्य या उसके किसी जिले या अन्य प्रादेशिकखण्ड के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जायेगा िकवह 1 मई 1976 को यथा गठित उस राज्य, जिले या अन्य खंड के प्रति निर्देश है।

अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम

1989 अनुसूचित जातियों एवंत न जातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए ऐसे अपराधें के विचारण के लिए विशेष न्यायालय एवं अनन्य रुप से विशष न्यायालय का तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का उनके पुर्नवास का तथा उससे संबंधित या उससे आनुसंगिक विषयों का उपबंध के लिए अधिनियम।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम

1994 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा नागरिकों के अन्य पिछड़ों लोगों के व्यक्तियों के लिए लोकसेवाओं और पदों में रिक्तियों में आरक्षण के लिए तथा उससे संसक्त या अनुषांगिक विषयों के लिए उपबंध करने के हेतु अधिनियम।

छततीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध नियम

1997 भारत के संविधान के अनुच्छैद 309 के परन्तुक द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तीा मध्य प्रदेश असाधारण दिनॉक 1.11.1996 में प्रकाशित सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. सी. 3.11. 1996–3–1 1.11.1996 द्वारा जारी मध्य प्रदेश सिविल सेवा लो सेवाओं और पदों में महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध नियम 1996 को अधिष्ठित करते हुए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, राज्य के कार्य कलाप के संबंध में लोक सेवा तथा पदों पर नियुक्त महिलाओं की सीधी भर्ती के लिए पदों के आरक्षण से संबंधित नियम बनाते हैं।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्गों के आरक्षण नियम

1998 अधिसूचना क्र. 1–2–93 आ. प. 1 दिनॉक 23.04.1998– छत्तीसगढ़ लोकसेवा – अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 क्र. 21–1994 की धरा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा नियम बनाती है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति अधिनियम

2003 भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 और 335 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद् द्वारा लोकसेवाओं तथा पदों के आधार का अवधारण करने और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण से संबंधित नियम बनाते हैं।

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन अधिनियम

2013 राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंतिधत व्यक्तियों तथा अन्य सामाजित एवं शैक्षणिक रुप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के हितों को, उन व्यक्तियों, जो मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणीकरण करते हुएप्राप्त करते हैं कि वे व्यक्ति जनसंख्या के इन वर्गों से संबंधित हैं, से संरक्षित करने तथा मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने एवं प्राप्त करने के लिए दण्ड का प्रावधान करने और इससे संबंधित तथा उसके अनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम।

आरक्षित समाज का समसामयिक स्वरुप

वर्तमान युग में पिछड़ा वर्ग, दलित–शोषित, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान, महिलओं के साथ उच्च वर्गों के द्वारा दबंगई करते हुए प्रताड़ित व अत्याचार– गलियों में निःवस्त्र घुमाना, जिन्दा जलाना, मैला का काम कराना, बंधुवॉ मजदूरी करने के लिए बाध्य करना, इनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, शासकीय/अशासकीय/सर्वाजनिक जगहों पर व्यंग्य करना, रोक लगाना आदि करने का मामला समय–समय पर देखने–सुनने को मिलता है। इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है ? क्या, यही समतामूलक विकास की परिभाषा है। फिर आजादी का क्या मायने ? तेजी के साथ विकास के दौर में, आज इसे समाप्त करने का षड़यंत्र किया जा रहा है। ऐसा क्यों, इस वर्ग को समय के साथ सचेत होना होगा, गठित होना होगा, जिसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने पहले से ही आगाह किया था। तभी उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। नहीं तो कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में यह स्वतंत्रता फिर से चला जायेगा। आज की स्थिति कुछ ऐसी ही है– राजनीति के सामने सब बौने होते जा रहे हैं। शासकीय/अशासकीय/या सामान्य जनता का जीवन एक नई तरह से गुलामी की ओर बढ़ता जा रहा है।

21वीं सदी और आरक्षण

आज देश में आजादी के बाद भी इस मुहिम अथवा अभियान के लिए इन वर्गों के बीच जन आन्दोलन की आवश्यकता है। जिससे हजार वर्षों के शोषण से मुक्ति मिले और लोगों का समुचित व समन्वित विकास समय अनुरुप हो सके। इसके लिए निम्नवत् प्रावधान हो–

1. संविधान में विशेष दर्जा हो।

2. पूर्वाग्रह से ग्रसित लोगों के साथ कठोरता से कार्यवाही किया जाय।
3. संवैधानिक प्रावधान तथा योजनाओं की जानकारी लाभार्थी तक समय पर पहुॅचाने की जिम्मेदारी संबंधित नेता, अधिकारी/कर्मचारी को दिया जाय।
4. आरक्षितों को किसी भी कार्य, जो कर्त्तव्य से परे हो, को करने के लिए बाध्य न किया जाय और न ही उकसाया जाय। इसके लिए सतत् निगरानी की जरुरत है।
5. शासकीय सेवकों की नियुक्ति, पदोन्नति, पेंशनादि सुविधाऐं समय पर मिले, इसकी विशेष ध्यान रखा जाय।
6. सार्वजनिक स्थलों पर, किसी भी तरह से अहैतुक शब्द, कार्य, व्यवहार न किया जाय। जिससे किसी भी प्रकार से अपमान या हानि होती हो।
7. कार्य में अनावश्यक गतिरोध न हो। जिससे आरक्षित वर्गों के भविष्य प्रभावित होता हो।
8. शासकीय और सार्वजनिक जगहों में, संस्थाओं, निगमों, विभागों, होटल, रेस्त्रां आदि में किसी भी तरह से भेदभाव न हो।
9. संवैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन होना सुनिश्चित किया जाय।

संदर्भ ग्रंथ

1. डॉ भीमराव अम्बेडकर :व्यक्तित्व के कुछ पहलू मोहन सिंह
2. गुलामगिरी – महात्मा ज्योतिबा फूले,
3. भारत का संविधान – बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर
4. डॉ बाबा साहब अम्बेडकर जीवन संघर्ष एवं राष्ट – बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर
5. भारत का संविधान – दूर्गादास बसु
6. भारत का संविधान – सुभाष कश्यप
7. बौध्द धर्म और साम्यवाद – डॉ भीमराव अम्बेडकर
8. छत्तीसगढ़ में सिविल सेवा तथा पदों पर आरक्षण
9. संबंधित विधि
10. अनुसूचित जाति, जनताति एवं पिछड़ावर्ग आरक्षण अधिनियम 1950, 85, 89, 94 97, 98, 2003, 2013,